रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012026-269593
CG-DL-E-27012026-269593

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 2026/माघ 2, 1947
No. 55] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 2026/MAGHA 2, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 55(अ).— केंद्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 49ङ की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (ञ झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए अधिकारियों की भर्ती की पद्धति और सेवा शर्तों के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रबंधन प्राधिकरण(अधिकारियों की सेवा शर्तें)भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना —— ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को **लागू** होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर —— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में, यथास्थिति, विनिर्दिष्ट है।

5. सेवा संबंधी शर्तें —— वेतन, भत्ते, छुट्टी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता की आयु, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, चिकित्सा सुविधाएं और सेवा की अन्य शर्तों के मामलों में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी, जो उस समय उन स्थानों पर तैनात, यथास्थिति, समूह क, समूह ख और समूह ग के तत्स्थानी वेतनमान के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू हैं।

6. निरर्हता —— वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति और पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, , या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति ——** जहां **केंद्रीय सरकार** की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्तियां** —— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

[फा.सं.डब्लू.एल-1/41/2024-डब्ल्यूएल]

रमेश कुमार पांडे, अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव) एवं निदेशक, वन्य जीव संरक्षण

अनुसूची

पदों का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किये जाने वाले के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	भर्ती मामले में प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना प्रतिनियुक्ति:	परिस्थितियाँ भर्ती करने में किन में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. वन उप महानिरीक्षक।	(*) 2026 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	भारतीय वन सेवा समूह 'क' (राजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13-क रु. 1,31,100-	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या कानूनी या	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

	किया ज सकता है।		2,16,600/-							स्वायत्त संगठनों के (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से केंद्रीय स्टाफिंग योजना) भारतीय वन सेवा में से अधिकारी, - (क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो , या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (1,18,500-2,14,100 रुपये) या समतुल्य ग्रेड में छह वर्ष कि नियमित सेवा के साथ पद धारण किया हुआ हो; और (ख) जिनके पास वन्यजीव संरक्षण में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो। वांछनीय: वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (सीआईटीईएस) से संबंधित मामलों का व्यौहार किया हो। टिप्पण: 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण: 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56		

										वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2. सहायक वन महानिरीक्षक	(*) 2026 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारतीय वन सेवा समूह 'क' (राजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-11 रु.67,700 - 2,08,700/- (एआईजी ग्रेड-II) या वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-12 78,800/- 2,09,200/- (एआईजी ग्रेड-I) या वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-13 123100/- 214100/- (ज्येष्ठ एआईजी)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से केंद्रीय स्टाफिंग योजना) भारतीय वन सेवा में से अधिकारी, - (क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में 56,100 - 1,77,500/- रूपए या समतुल्य ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा कि हो; और (ख) जिनके पास वन्यजीव प्रबंधन के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो। वांछनीयः वन्य जीव-जन्तुओं और वनस्पतियों कि लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (सीआईटीईएस) से संबंधित मामलों का व्यौहार किया हो। टिप्पण: 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

										- बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण: 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, 22nd January, 2026

G.S.R. 55(E).— In exercise of the powers conferred by clause (ji) of sub-section (1) of section 63 read with sub-section (4) of section 49 E of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment and conditions of service of the Officers to assist the Management Authority, under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

1. **Short title and commencement**. — (1) These rules may be called the Management Authority (Conditions of Service of Officers) Recruitment Rules, 2026.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**. — These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix. —** The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc**. —The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule .

5. **Conditions of service**. — The conditions of service of the officers and other employees in matters of pay, allowances, leave, provident fund, age of superannuation, pension and other retirement benefits, medical facilities and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to officers and employees to Group A, Group B and Group C, as the case may be, of the corresponding scales of pay stationed at those places.

6. **Disqualification**. — No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax. —** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to the recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving**. **—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Schedules Tribes and Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

[F.No.WL-1/ 41/2024-WL]

RAMESH KUMAR PANDEY, Addl. Director Genl. of Forests (Wildlife) And Director, Wild Life Preservation

Name of posts.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruit.**	**Educational and other qualification required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption to grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion committee exists what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
1.Deputy Inspector General of Forests.	(*) 2026 *Subject to variation dependent on workload.	Indian Forest Service Group 'A', Gazetted.	Level-13-A in the pay matrix Rs. (131100-216600.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Deputation: From amongst Indian Forest Service Officers (through Ministry of Environment, Forest and Climate Change-Central Staffing Scheme) of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or Statutory or Autonomous Organizations, - (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) holding post in the level-13 of the pay matrix (Rs.123100-215900) or equivalent with	Not applicable.	Not applicable.

										six years' regular service in the grade; and (b) having at least five years of experience in Wildlife conservation. Desirable: Dealt with the matters related to Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (CITES). Note 1: The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceeding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall be, not exceeding fifty-six years as on closing date of receipt of application.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2. Assistant Inspector General of Forests.	(*) 2026 *Subject to variation dependent on workload.	Indian Forest Service, Group 'A', Gazetted.	Level-11 in the pay matrix Rs.67700 - 208700) (AIG Grade-II); Or level-12 in the pay matrix Rs. (78800 - 209200) (AIG Grade-I); Or level-13 in the pay matrix (Rs. 123100 - 215900 - 214100) (Senior AIG).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Deputation: From amongst Indian Forest Service Officers (through Ministry of Environment, Forest and Climate Change-Central Staffing Scheme) of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or Statutory or Autonomous Organizations, - (a)(i) holding analogous post on regular basis; or (ii) holding post in level-10 of the pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent with five years' regular service in the grade; and (b) having at least five years field experience in wildlife management. Desirable: Dealt with matters related to Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (CITES) Note 1: Period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or other organization or	Not applicable.	Not applicable.

										department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be, not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.01.27 16:23:30 +05'30'